लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

लोक हित प्रकटन

3. लोक हित प्रकटन की आवश्यकता ।

अध्याय 3

लोक हित प्रकटन के संबंध में जांच

4. लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य ।

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच न किए जाने वाले विषय ।

अध्याय 4

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां

6. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां ।

7. कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट ।

8. समुचित तंत्र पर सक्षम प्राधिकारी का अधीक्षण ।

9. सक्षम प्राधिकारी कतिपय मामलों में पुलिस प्राधिकारी आादि की सहायता लेगा ।

अध्याय 5

प्रकटन करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

10. उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षोपाय ।

11. साक्षियों और अन्य व्यक्तियों का संरक्षण ।

12. शिकायतकर्ता की पहचान ail संरक्षण ।

13. अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति ।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

14. अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति ।

15. शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने के लिए शास्ति ।

16. मिथ्या या निरर्थक तुच्छ प्रकटन कें लिए दंड ।

17. कतिपय मामले में विभागाध्यक्ष के लिए दंड ।

18. कंपनियों द्वारा अपराध ।

19. उच्च न्यायालय को अपील ।

20. अधिकारिता ail वर्जन ।

21. न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना ।

खंड

अध्याय 7

प्रकीर्ण

22. प्रकटीकरण पर रिपोर्ट ।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

24. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

26. विनियम बनाने की शक्ति ।

27. अधिसूचनाओं और नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

28. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना ।

29. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

30. निरसन और व्यावृत्ति ।

2010 का विधेयक संख्यांक 97

[दि पब्लिक इन्टरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू परसन्स मेकिंग दि डिस्क्लोजर बिल, 2010 का हिन्दी अनुभाग]

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: —

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केन्द्रीय सतर्कता आयोग" से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग अभिप्रत है; 2003 का 45

(a) "सक्षम प्राधिकारी" से,—

(i) खंड (i) के उपखंड (अ) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक के संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ii) खंड (i) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक के संबंध में, राज्य सतर्कता आयोग, यदि कोई हो या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ग) "शिकायतकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकटन के संबंध में कोई शिकायत करता है;

(घ) "प्रकटन" से,—

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध की करने के प्रयत्न या होने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है; 1988 का 45

(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाणित हानि होती है या लोक सेवक को प्रमाणित अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(iii) किसी लोक सेवक द्वारा किसी दांडिक अपराध को करने के प्रयत्न या होने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है,

जो लिखित में या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल संदेश द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध की जाती है और जिसमें धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लोक हित प्रकटन सम्मिलित है;

(ङ) "इलेक्ट्रानिक मेल" और "इलेक्ट्रानिक मेल संदेश" से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार यंत्र पर, कोई संदेश या सृजित या प्रेषित या प्राप्त सूचना अभिप्रेत है, जिसमें पाठ, आकृति, श्रव्य, दृश्य तथा कोई अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख सम्मिलित हैं, जो संदेश के साथ प्रेषित किए जाएं;

(च) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है; 1956 का 1

(छ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला कोई प्राधिकारी, निकाय या संस्था अभिप्रेत है;

(झ) "लोक सेवक" से,—

(अ) केंद्रीय सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम, केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किन्हीं सरकारी कंपनियों, या स्थानीय प्राधिकारियों का कोई कर्मचारी या ऐसे अन्य प्रवर्ग के कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं;

(आ) राज्य सरकार या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकारियों का कोई कर्मचारी या ऐसे अन्य प्रवर्ग के कर्मचारी अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

लोक हित प्रकटन

1923 का 19

लोक हित प्रकटन की आवश्यकता।

3. (1) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक [संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) से खण्ड (घ) में निर्दिष्ट लोक सेवक से भिन्न] या कोई अन्य व्यक्ति जिसके अंतर्गत कोई गैर सरकारी संगठन भी है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोक हित प्रकटन कर सकता है:

परंतु कोई लोक सेवक जो कि संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या सदस्य है लोक हित प्रकटन कर सकता है यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रकटन का संबंध निम्नलिखित व्यक्तियों से नहीं है,—

(क) सशस्त्र बल के सदस्य या सशस्त्र बल से संबंधित कोई विषय; या

(ख) लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारित बलों के सदस्य; या

(ग) आसूचना या प्रतिआसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित कोई ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति या ऐसे ब्यूरो या अन्य संगठन से संबंधित कोई विषय;

(घ) खंड (क) से लेकर खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार पद्धति में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों या ऐसी किसी दूरसंचार पद्धति या ब्यूरो या संगठन से संबंधित कोई विषय।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रकटन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित प्रकटन माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा प्रकटन किया जाएगा।

(3) प्रत्येक प्रकटन सद्भावपूर्वक किया जाएगा और प्रकटन करने वाला व्यक्ति एक व्यक्तिगत घोषणा करते हुए यह कथन करेगा कि युक्तियुक्त रूप से उसका यह विश्वास है कि उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी और अभिकथन सारभूत रूप से सत्य है।

(4) प्रत्येक प्रकटन लिखित में या इलेक्ट्रानिक मेल या प्रक्रिया के अनुसार जिसे विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक मेल संदेश के अनुसार किया जाएगा और उसमें सभी विशिष्टियां होंगी तथा उसके साथ समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य सामग्री यदि कोई हो, संलग्न होगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी यदि उचित समझता है तो वह प्रकटन करने वाले व्यक्ति से और अधिक जानकारी या विशिष्टियां मंगा सकता है।

(6) यदि प्रकटन में शिकायतकर्ता की पहचान उपदर्शित नहीं की गई है या लोक हित प्रकटन करने वाले लोक सेवक या शिकायतकर्ता की पहचान या लोक सेवक की पहचान गलत या मिथ्या पाई जाती है तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक हित प्रकटन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्याय 3

लोक हित प्रकटन के संबंध में जांच

लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य ।

4. धारा 3 के अधीन लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) शिकायतकर्ता या लोक सेवक से यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या वह व्यक्ति या लोक सेवक वही व्यक्ति है जिसने प्रकटन किया है;

(ख) शिकायतकर्ता की पहचान को तब तक छिपाएगा जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान किसी अन्य पदधारी या प्राधिकारी को लोक हित प्रकटन करते समय या अपनी शिकायत में या अन्यथा न की हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी शिकायत मिलने और शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान छिपाने के पश्चात् पहली बार सावधानीपूर्वक जांच ऐसी रीति में कराएगा, जिसे विहित किया जाए, और यह अभिनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रकटन के आधार पर और अन्वेषण करने के लिए कार्यवाही करने का कोई आधार है या नहीं।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी को सावधानीपूर्वक जांच के परिणामस्वरूप या प्रकटन के आधार पर कोई जांच कराए बिना यह राय है कि ऐसे प्रकटन के संबंध में और आगे अन्वेषण कराने की आवश्यकता है तब वह इस बाबत संगठन या प्राधिकारी, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय से ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट की गई टिप्पणियों या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट को मांगते समय सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट नहीं करेगा और संगठन या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को यह निदेश करेगा कि वह शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट न करे:

परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोक प्रकटन के आधार पर उपधारा (3) के अधीन टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संगठन या प्राधिकारी, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को लोक सेवक की पहचान प्रकट करना आवश्यक हो गया है तब सक्षम प्राधिकारी संगठन या प्राधिकरण या बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान उक्त प्रयोजन के लिए प्रकट कर सकेगा।

(5) संगठन या संबंधित कार्यालय का विभागाध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटन करने वाले शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट नहीं करेगा।

(6) यदि जांच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि–

(क) प्रकटन में अंतर्विष्ट तथ्य और अभिकथन तुच्छ या तंग करने वाले हैं; या

(ख) जांच के संबंध में कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं,

तब वह ऐसे मामले को बंद कर सकता है।

(7) उपधारा (3) में निर्दिष्ट टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि जानबूझकर शक्ति का या विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया है या भ्रष्टाचार के अभिकथन सिद्ध हो गए हैं तब वह लोक प्राधिकारी को यह सिफारिश करेगा कि वह निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक के आधार पर कार्यवाही करे:—

(i) संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करे;

(ii) यथास्थिति, भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई हानि के प्रतितोष के लिए समुचित प्रशासनिक कदम उठाएगा;

(iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तब तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए समुचित प्राधिकारी या अभिकरण को सिफारिश करेगा;

(iv) सुधारवादी उपायों को अपनाने की सिफारिश करेगा;

(v) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खंड (i) से (iv) के अंतर्गत न आने वाले किसी उपाय को अपनाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच न किए जाने वाले विषय।

5. (1) यदि किसी प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषय या किसी विवाद्यक का अवधारण किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा किया गया है, जो कि ऐसे विवाद्यक का अवधारण करने के लिए प्राधिकृत है, तब सक्षम प्राधिकारी प्रकटन में विनिर्दिष्ट किए गए विवाद्यक के संबंध में उस सीमा तक विचार नहीं करेगा जिस सीमा तक ऐसे प्रकटन में ऐसे विवाद्यक पर पुन: विचार करने की ईप्सा की गई हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित रूप से किसी प्रकटन को ग्रहण नहीं करेगा या उसके संबंध में जांच नहीं करेगा जिनकी बाबत–

1850 का 37

(क) लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक या लोक जांच किए जाने का आदेश किया गया है; या

1952 का 60

(ख) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन निर्दिष्ट किसी विषय की बाबत।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें ऐसा अभिकथन अंतर्ग्रस्त हो जिसके संबंध में शिकायत करने की तारीख से पांच वर्ष के पश्चात् कार्रवाई किए जाने का अभिकथन किया गया है।

(4) इस अधिनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि कोई सद्भाविक कार्रवाई या सद्भाविक विवेकाधिकार (जिसके अंतर्गत प्रशासनिक और कानूनी विवेकाधिकार भी है) का प्रयोग किया है उसके विरुद्ध जांच करने के लिए सशक्त किया गया है।

अध्याय 4

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां।

6. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति की जांच के प्रयोजन के लिए, जो कि उनकी राय में जानकारी या जांच में सहायता या जांच के लिए सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत है तब वह उसे उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसा दस्तावेज, जो कि, यथास्थिति, आवश्यक हो प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

1908 का 5

(2) निम्नलिखित विषयों की बाबत सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी जांच, जिसके अंतर्गत आरंभिक जांच भी है, होगी, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का, प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना;

(च) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं।

1974 का 2

(3) सक्षम प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के

1860 का 45

अर्थान्तर्गत तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(4) धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी या किसी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसको प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई बाध्यता या अन्य निर्बन्धन, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित हो, सक्षम अधिकारी या लिखित रूप में 1923 का 19
उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में किसी लोक सेवक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा और सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसी जांच के संबंध में दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य देने की बाबत ऐसे किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जैसा किसी अधिनियमिति द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अनुज्ञात है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी सिविल न्यायालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक कदम उठाएगा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की गई है या जोखिम में नहीं डाला गया है।

कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट।

7. (1) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर ऐसी कोई सूचना देने या ऐसा कोई उत्तर देने या कोई दस्तावेज या जानकारी पेश करने या इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई अन्य सहायता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न या दस्तावेज या जानकारी से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या न्यायालय का अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में, —

(क) संघ सरकार के मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है;

(ख) राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है,

और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के सचिव या प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, आबद्धकर और निश्चायक होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

समुचित तंत्र पर सक्षम प्राधिकारी का अधीक्षण।

8. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गए प्रकटनों के संबंध में विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए एक समुचित तंत्र सृजित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रकटनों पर विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के अधीन सृजित तंत्र के कार्यकरण का अधीक्षण करेगा और समय-समय पर इसके उचित कार्यकरण के लिए ऐसे निदेश देगा, जो वह आवश्यक समझे।

सक्षम प्राधिकारी कतिपय मामलों में पुलिस प्राधिकारी आदि की सहायता लेगा।

9. संबंधित संगठन से सावधानीपूर्वक जांच करने या जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या पुलिस प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे आवश्यक समझा जाए, सक्षम प्राधिकारी प्राप्त प्रकटन के अनुसरण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जांच पूरी करने और सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

अध्याय 5

प्रकटन करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षोपाय।

10. (1) केंद्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति या लोक सेवक, जिसने इस अधिनियम के अधीन प्रकटन किया है, मात्र इस आधार पर कि किन्हीं कार्यवाहियों या अन्यथा के आरंभ द्वारा उत्पीड़ित किया जाए कि ऐसा व्यक्ति या लोक सेवक ने इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई प्रकटन किया था या सहायता दी थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को इस आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है या उत्पीड़ित किए जाने की संभावना है कि उसने इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई शिकायत फाइल की थी या प्रकटन किया था या सहायता दी थी, तो वह मामले में प्रतितोष के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित होने से संरक्षित करने या उसे उत्पीड़न से बचाने के लिए, यथास्थिति, संबद्ध लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक निदेश उस लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आबद्धकर होगा, जिसके विरुद्ध उत्पीड़न का अभिकथन साबित हो गया है।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी किसी लोक सेवक के संबंध में उपधारा (2) के अधीन निदेश देने की शक्ति में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रकटन करने वाले लोक सेवक के प्रत्यास्थापन का निदेश देने की शक्ति होगी।

साक्षियों और अन्य व्यक्तियों का संरक्षण।

11. यदि सक्षम प्राधिकारी की शिकायतकर्ता या साक्षियों के आवेदन पर या एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर उसकी यह राय है कि शिकायतकर्ता या लोक सेवक या साक्षी या इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए सहायता देने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी संबद्ध सरकारी प्राधिकारी (पुलिस सहित) को समुचित निदेश जारी करेगा, जो ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक या संबद्ध व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अपने अधिकरणों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाएगा।

शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण।

12. सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए तब तक शिकायतकर्ता की पहचान और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी को छिपाएगा, जब तक स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इस प्रकार विनिश्चय नहीं किया जाता या न्यायालय के आदेश के आधार पर इसका प्रकट किया जाना या पेश किया जाना आवश्यक नहीं हो जाता।

अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति।

13. सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा प्रकटन करने के पश्चात् किसी समय, यदि उसकी यह राय है कि उक्त प्रयोजन के लिए किसी जांच बने रहने के दौरान किसी भ्रष्ट व्यवहार को सेवकों के लिए आवश्यक है तो ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ऐसे व्यवहार को तत्काल रोकने के लिए ठीक समझे।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति।

14. जहां सक्षम प्राधिकारी संगठनों या संबद्ध कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर, रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करते समय उसकी यह राय है कि संगठन या संबद्ध कर्मचारियों ने किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भाववश रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है या जानबूझकर अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या अभिलेख या जानकारी नष्ट की है जो प्रकटन की विषयवस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपए तक की हो सकेगी किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने के लिए शास्ति।

15. कोई व्यक्ति, जो उपेक्षावश या दुर्भाववश किसी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मिथ्या या निरर्थक तुच्छ प्रकटन के लिए दंड।

16. कोई व्यक्ति, जो दुर्भाववश और जानबूझकर कोई प्रकटन करता है कि यह गलत या मिथ्या या भ्रामक था तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कतिपय मामलों में विभागाध्यक्ष के लिए दंड।

17. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(a) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

उच्च न्यायालय को अपील।

19. धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "उच्च न्यायालय" से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उद्भूत हुआ है।

अधिकारिता का वर्जन।

20. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सक्षम प्राधिकारी अवधारित करने के लिए सशक्त है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना।

21. (1) कोई भी न्यायालय सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा शिकायत के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

22. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपने क्रियाकलापों को करने के बारे में एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। प्रकटीकरण पर रिपोर्ट।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट के तैयार करने के बारे में उपबंध किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट में उस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों को करने के बारे में पृथक् भाग अंतर्विष्ट किया जाएगा।

23. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन लिखित रूप में या समुचित इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा प्रकटीकरण की प्रक्रिया;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुप्त जांच की जाएगी;

(ग) ऐसे अतिरिक्त विषय, जिनकी बाबत सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

25. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के नियम बना सकेगी। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

26. सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों। विनियम बनाने की शक्ति।

27. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, जारी की जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी या रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी/होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम अथवा विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु अधिसूचना या नियम अथवा विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिसूचनाओं और नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना।

28. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी/रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: 5

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

30. (1) तारीख 29 अप्रैल, 2004 के समसंख्यांक संकल्प द्वारा यथा संशोधित, भारत सरकार, कार्मिक, 10 लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)का संकल्प संख्यांक 371/12/2002-एवीडी-III, तारीख 21 अप्रैल, 2004 द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसकी वजह से उचित रूप से सामंजस्य संवर्धन और आर्थिक विकास में बाधा होती है । सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आने वाली अड़चनों में से एक अड़चन यह है कि भ्रष्टाचार या जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग, जिसके कारण सरकार को प्रमाणित हानि या कोई लोक सेवक दांडिक अपराध करना है, की शिकायत करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है ।

2. भारत के विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि "लोक हित प्रकटन (मुखबिर को संरक्षण) विधेयक, 2002" नामक विनिर्दिष्ट विधान प्रतिपादित किया जाए जिससे किसी लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या कुशासन की बाबत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसे शिकायतकर्ता को संरक्षण दिया जा सके । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "शासन में नैतिकता" पर अपनी चौथी रिपोर्ट में भी शिकायत करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए विधान विरचित करने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने तारीख 21 अप्रैल, 2004 को संकल्प सं. 89 जारी करके केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पदाभिहित अधिकरण के रूप में शिकायत करने वाले व्यक्तियों से लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है । उक्त संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत करने वाले व्यक्ति को तंग करने से संरक्षण देने के लिए और उसकी पहचान को छिपाने के लिए उपबंध किया गया है । यह महसूस किया गया है कि जो व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपोंग करने की वजह से सरकार को प्रमाणित हानि या कोई दांडिक अपराध कारित किए जाने की शिकायत करते हैं उन्हें कानूनी संरक्षण देने की आवश्यकता है क्योंकि भारत सरकार के उक्त संकल्प द्वारा जो संरक्षण दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है ।

3. पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि एक ऐसा लाजवाब विधान अधिनियमित किया जाए जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंधित हो—

(क) विधेयक की परिधि के भीतर ऐसे लोक सेवकों को लाया जाए जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी हैं और ऐसे अन्य प्रवर्ग के कर्मचारी हैं जिन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ;

(ख) किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार या जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने की वजह से सरकार को प्रमाणित हानि होती है या कोई दांडिक अपराध होता है इनकी रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाए ;

(ग) लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग या किसी दांडिक अपराध के किए जाने की जानकारी प्रकट करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नियमित तंत्र ;

(घ) ऐसे प्रकटन के संबंध में जांच की प्रक्रिया या जांच कराना और शिकायत करने वाले व्यक्ति अर्थात् ऐसा प्रकटन करने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न करने के विरुद्ध पर्याप्त

सुरक्षापाय का उपबंध ;

(ङ) किसी लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न करने के विरुद्ध सुरक्षापाय ;

(च) उपेक्षापूर्वक या असद्भावपूर्वक किसी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकटन करने के लिए दंड ;

(छ) मिथ्या या तुच्छ प्रकटन के लिए दंड ।

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक के उपबंधों का विस्तृत वर्णन करता है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 अगस्त, 2010

पृथ्वीराज चवन

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड प्रस्तावित विधान संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है । यह प्रस्ताव है कि विधान के उपबंधों का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं किया जाएगा । यह और प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए तारीख नियत करने के लिए सशक्त किया गया है और केन्द्रीय सरकार अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए विभिन्न तारीखें नियत कर सकेगी ।

खंड 2--यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत "केन्द्रीय सतर्कता आयोग", "सक्षम प्राधिकारी", "प्रकटन", "इलेक्ट्रानिक मेल" या "इलेक्ट्रानिक मेल संदेश" , "सरकार कंपनी", "लोक प्राधिकारी" और "लोक सेवक" पद भी हैं ।

खंड 3--इस खंड में लोक हित प्रकटन की अपेक्षाओं को अधिकथित किया गया है । यह उपबंध करता है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक [संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट लोक सेवक से भिन्न] या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई गैर सरकारी संगठन भी है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोक हित प्रकटन कर सकता है ।

यह और उपबंध करता है कि कोई लोक सेवक जो कि संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या सदस्य है लोक हित प्रकटन कर सकता है, यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रकटन का संबंध सशस्त्र बल के सदस्य या सशस्त्र बल से संबंधित कोई विषय ; या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारित बलों के सदस्य ; या आसूचना या प्रतिआसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित कोई ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति या ऐसे ब्यूरो या अन्य संगठन से संबंधित कोई विषय ; खंड (क) से लेकर खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार पद्धति में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों या ऐसी किसी दूरसंचार पद्धति या ब्यूरो या संगठन से संबंधित किसी विषय से नहीं है ।

यह और उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन किए गए प्रकटन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित प्रकटन माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा प्रकटन किया जाएगा और इसे सदभावपूर्वक किया जाएगा तथा प्रकटन करने वाला व्यक्ति एक व्यक्तिगत घोषणा करते हुए यह कथन करेगा कि युक्तियुक्त रूप से उसका यह विश्वास है कि उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी और अभिकथन सारवान् रूप से सत्य है ।

यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक प्रकटन लिखित में या इलेक्ट्रानिक मेल या प्रक्रिया, जिसे विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक मेल संदेश के अनुसार किया जाएगा और उसमें सभी विशिष्टियां होंगी तथा उसके साथ समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य सामग्री यदि कोई हो, संलग्न होगी । सक्षम प्राधिकारी यदि उचित समझता है तो वह प्रकटन करने वाले व्यक्ति से और अधिक जानकारी या विशिष्टियां मंगा सकता है ।

यह भी उपबंध करता है कि यदि प्रकटन में शिकायतकर्ता की पहचान उपदर्शित नहीं की गई है या लोक हित प्रकटन करने वाले लोक सेवक या शिकायतकर्ता की पहचान या लोक सेवक की पहचान गलत या मिथ्या पाई जाती है तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक हित प्रकटन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

खंड 4--यह खंड लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य के संबंध में उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी लोकहित प्रकटन के प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता या लोक सेवक से यह अभिनिश्चित करेगा कि

क्या वह व्यक्ति या लोक सेवक वही व्यक्ति है जिसने प्रकटन किया है और शिकायतकर्ता की पहचान को तब तक छिपाएगा जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान किसी अन्य पदधारी या प्राधिकारी को लोक हित प्रकटन करते समय या अपनी शिकायत में या अन्यथा न की हो ।

यह और उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी शिकायत मिलने और शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान छिपाने के पश्चात् पहली बार सावधानीपूर्वक जांच ऐसी रीति में कराएगा, जिसे विहित किया जाए, और यह अभिनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रकटन के आधार पर और अन्वेषण करने के लिए कार्यवाही करने का कोई आधार है या नहीं और यदि सक्षम प्राधिकारी की सावधानीपूर्वक जांच के परिणामस्वरूप या प्रकटन के आधार पर कोई जांच कराए बिना यह राय है कि ऐसे प्रकटन के संबंध में और आगे अन्वेषण करने की आवश्यकता है तब वह इस बाबत संगठन या प्राधिकारी, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय से ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगेगा और ऐसा करते हुए सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट नहीं करेगा । तथापि, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोक प्रकटन के आधार पर उपधारा (3) के अधीन टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संगठन या प्राधिकारी, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को लोक सेवक की पहचान प्रकट करना आवश्यक हो गया है तब सक्षम प्राधिकारी संगठन या प्राधिकरण या बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान उक्त प्रयोजन के लिए प्रकट कर सकता है ।

यह और उपबंध करता है कि यदि जांच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि प्रकटन में अंतर्विष्ट तथ्य और अभिकथन तुच्छ या तंग करने वाले हैं या जांच के संबंध में कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं, तब वह ऐसे मामले को बंद कर सकता है ।

यह भी उपबंध करता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि जानबूझकर शक्ति का या विवेकाधिकार का दुरूपयोग किया गया है या भ्रष्टाचार के अभिकथन सिद्ध हो गए हैं तब वह लोक प्राधिकारी को यह सिफारिश करेगा कि वह निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक के आधार पर कार्रवाई करे या संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ करे या यथास्थिति, भ्रष्ट आचरण या पद के दुरूपयोग या विवेकाधिकार के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई हानि के प्रतितोष के लिए समुचित प्रशासनिक कदम उठाएगा या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तब तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन दांडिक कार्रवाइयों को आरंभ करने के लिए समुचित प्राधिकारी या अभिकरण को सिफारिश करेगा ; सुधारवादी उपायों को अपनाने की सिफारिश करेगा या इस प्रस्तावित विधान के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त (i) से (iv) के अंतर्गत न आने वाले किसी उपाय को अपनाएगा ।

खंड 5—यह खंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच न किए जाने वाले विषय के संबंध में है । यह उपबंध करता है कि यदि किसी प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषय या किसी विवाद्यक का अवधारण किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा किया गया है, जो कि ऐसे विवाद्यक का अवधारण करने के लिए प्राधिकृत है, तब सक्षम प्राधिकारी प्रकटन में विनिर्दिष्ट किए गए विवाद्यक के संबंध में उस सीमा तक विचार नहीं करेगा जिस सीमा तक ऐसे प्रकटन से ऐसे विवाद्यक पर पुनः विचार करने की ईप्सा की गई हो ।

यह भी उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित रूप से ऐसे किसी प्रकटन को ग्रहण नहीं करेगा या उसके संबंध में जांच नहीं करेगा जिनकी बाबत लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक या लोक जांच करने का या जांच आयोग अधिनियम,

1952 के अधीन निर्दिष्ट किसी विषय की बाबत जांच करने का आदेश किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें ऐसा अभिकथन अंतर्ग्रस्त हो कि शिकायत करने की तारीख से पांच वर्ष के पश्चात् कार्रवाई किए जाने का अभिकथन किया गया है ।

यह भी उपबंध करता है कि इस प्रस्तावित विधान में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी को इस प्रस्तावित विधान के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सदभाविक कार्रवाई या सदभाविक विवेकाधिकार (जिसके अंतर्गत प्रशासनिक और कानूनी विवेकाधिकार भी है) का प्रयोग किया है उसके विरूद्ध जांच करने के लिए सशक्त किया गया है ।

खंड 6—इस खंड में सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां अधिकथित की गई है । यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति की जांच के प्रयोजन के लिए, जो कि उनकी राय में जानकारी या जांच में सहायता या जांच के लिए सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत है तब वह उसे उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसा दस्तावेज, जो कि यथास्थिति, आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए कहेगा ।

यह और उपबंध करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां सक्षम प्राधिकारी के पास होंगी और प्रस्तावित विधान के अधीन सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 तथा दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां माना जाएगा ।

यह और उपबंध करता है कि सरकारी या किसी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसको प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई बाध्यता या अन्य निर्बंधन, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित हो, सक्षम प्राधिकारी या लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में किसी लोक सेवक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा और सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसी जांच के संबंध में दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य देने की बाबत ऐसे किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जैसा किसी अधिनियमिती द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अनुज्ञात हैं :

यह भी उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी सिविल न्यायालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक कदम उठाएगा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की गई है या जोखिम में नहीं डाला गया है ।

खंड 7—यह खंड कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट से संबंधित है । यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित विधान में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर ऐसी कोई सूचना देने या ऐसा कोई उत्तर देने या कोई दस्तावेज या जानकारी पेश करने या इस प्रस्तावित विधान के अधीन जांच में कोई अन्य सहायता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न या दस्तावेज या जानकारी से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या न्यायालय का अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में संघ सरकार के मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है ।

यह और उपबंध करता है कि, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के सचिव या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग जिसमें, संघ सरकार के मंत्रिमंडल या राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है आबद्धकर और निश्चायक होगा ।

यह भी उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ।

खंड 8--इस खंड में समुचित तंत्र पर सक्षम प्राधिकारी के अधीक्षण की बाबत उपबंध है । यह उपबंध करता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी, धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गए प्रकटनों के संबंध में विचार करने या जांच करने के उक्त प्रयोजन के लिए एक समुचित तंत्र सृजित करेगा और ऐसे तंत्र के कार्यकरण का अधीक्षण करेगा और समय-समय पर इसके उचित कार्यकरण के लिए ऐसे निदेश देगा, जो वह आवश्यक समझे ।

खंड 9--इस खंड में सक्षम प्राधिकारी के लिए कतिपय मामलों में पुलिस प्राधिकारी आदि की सहायता लेने से संबंधित उपबंध किए गए है । यह उपबंध करता है कि संबद्ध संगठन से विवेकसम्मत जांच करने या जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या पुलिस प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे आवश्यक समझा जाए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रकटन के अनुसरण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जांच पूरी करने के लिए सभी सहायता देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

खंड 10--यह खंड उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षोपाय द्वारा सशक्त करने का उपबंध करता है । केंद्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति या लोक सेवक, जिसने इस प्रस्तावित विधान के अधीन प्रकटन किया है, मात्र इस आधार पर कि किन्हीं कार्यवाहियों या अन्यथा के आरंभ द्वारा उत्पीड़ित किया जाए कि ऐसा व्यक्ति या लोक सेवक ने इस प्रस्तावित विधान के अधीन जांच में कोई प्रकटन किया था या सहायता दी थी और यदि किसी व्यक्ति को इस आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है या उत्पीड़ित किए जाने की संभावना है कि उसने इस प्रस्तावित के अधीन जांच में कोई शिकायत फाइल की थी या प्रकटन किया था या सहायता दी थी, तो वह मामले में प्रतितोष चाहने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई करते समय ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित होने से संरक्षित करने या उसको उत्पीड़न से बचाने के लिए, यथास्थिति, संबद्ध लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सकेगा ।

यह और उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक निदेश उस लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आबद्धकर होगा, जिसके विरुद्ध उत्पीड़न का अभिकथन साबित हो गया है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी किसी लोक सेवक के संबंध में उपधारा (2) के अधीन निदेश देने की शक्ति में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रकटन करने वाले लोक सेवक के प्रत्यास्थापन का निदेश देने की शक्ति होगी ।

खंड 11—यह खंड साक्षियों और अन्य व्यक्तियों के संरक्षण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यदि सक्षम प्राधिकारा की शिकायतकर्ता या साक्षियों के आवेदन पर या एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर उसकी यह राय है कि शिकायतकर्ता या लोक सेवक या साक्षी या इस प्रस्तावित विधान के अधीन जांच के लिए सहायता देने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी संबद्ध सरकारी प्राधिकारी जिसमें पुलिस भी है, को समुचित निदेश जारी करेगा, जो ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक या संबद्ध व्यक्तियों के संरक्षण

के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

खंड 12--यह खंड शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित जांच के प्रयोजनों के लिए तब तक शिकायतकर्ता की पहचान और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी छिपाएगा, जब तक स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इस प्रकार विनिश्चय नहीं किया जाता या न्यायालय के आदेश के आधार पर इसका प्रकट किया जाना या पेश किया जाना आवश्यक नहीं हो जाता ।

खंड 13--यह खंड सक्षम प्राधिकारी को अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा प्रकटन करने के पश्चात् किसी समय, यदि उसकी यह राय है कि उक्त प्रयोजन के लिए किसी जांच की निरंतरता के दौरान किसी भ्रष्ट व्यवहार को रोके जाने की अपेक्षा है तो ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ऐसे व्यवहार को तत्काल रोकने के लिए ठीक समझे ।

खंड 14--यह खंड अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां सक्षम प्राधिकारी संगठनों या संबद्ध कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर, रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करते समय उसकी यह राय है कि संगठन या संबद्ध कर्मचारियों ने किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भाववश रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है या जानबूझकर अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या अभिलेख या जानकारी नष्ट की है जो प्रकटन की विषयवस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपए तक की हो सकेगी किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी किंतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

खंड 15--यह खंड शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने के लिए शास्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो उपेक्षावश या दुर्भाववश किसी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

खंड 16--यह खंड मिथ्या या निरर्थक तुच्छ प्रकटन के लिए दंड का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो दुर्भाववश और जानबूझकर ऐसा प्रकटन करता है जो यह गलत या मिथ्या या भ्रामक है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

खंड 17--यह खंड विभागाध्यक्ष के लिए दंड का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां इस प्रस्तावित के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

यह और उपबंध करता है कि कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा ।

खंड 18—यह खंड कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के तब तक दायी होंगे जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । यह और उपबंध करता है कि जहां प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा । स्पष्टीकरण - यह खंड "कंपनी" और "निदेशक" पद को परिभाषित करता है ।

खंड 19—यह खंड उच्च न्यायालय को अपील फाइल करने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

यह और उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

खंड 20—यह खंड सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस प्रस्तावित विधान द्वारा या इसके अधीन सक्षम प्राधिकारी अवधारित करने के लिए सशक्त है, और इस प्रस्तावित विधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

खंड 21—यह खंड न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि कोई भी न्यायालय सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

खंड 22—यह खंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण पर रिपोर्ट तैयार करने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपने क्रियाकलापों को करने के बारे में एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार संसद् के समक्ष या राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी ।

यह और उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट के तैयार करने के बारे में उपबंध किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट में उस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों को करने के बारे में पृथक भाग अंतर्विष्ट किया जाएगा ।

खंड 23—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

खंड 24--यह खंड केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । उपखंड (2) में उन विषयों को प्रगणित किया गया है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकेगी ।

खंड 25--यह खंड राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

खंड 26—यह खंड राज्य सरकार को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है । यह उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

खंड 27--यह खंड अधिसूचनाओं और नियमों का संसद् के समक्ष रखे जाने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 28--यह खंड राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 29—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो प्रस्तावित विधान उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी ।

यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 30—यह खंड निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है । यह उपबंध करता है कि तारीख 29 अप्रैल, 2004 के समसंख्यांक संकल्प द्वारा यथा संशोधित, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण) विभाग के संकल्प संख्यांक 371/12/2002-एवीडी-III, तारीख 21 अप्रैल, 2004 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

यह और उपबंध करता है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई प्रस्तावित विधान के अधीन की गई समझी जाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खंड 24 के उपखंड (1) द्वारा केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है । उपखंड (2) में उन विषयों को प्रगणित किया गया है जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकते हैं । अन्य बातों के साथ इन विषयों अर्थात् खंड 3 के उपखंड (4) के अधीन लिखित रूप में या समुचित इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा प्रकटीकरण की प्रक्रिया ; वह रीति जिसमें खंड 4 के उपखंड (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुप्त जांच की जाएगी : ऐसे अतिरिक्त विषय, जिनकी बाबत सक्षम प्राधिकारी खंड 6 के उपखंड (2) के अधीन सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है ।

2. खंड 25 द्वारा राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त किया गया है ।

3. खंड 25 द्वारा सक्षम प्राधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सभी विषयों के लिए जिनके लिए इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत न हो ।

4. खंड 27 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों और विनियमों को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

5. नियमों और विनियमों को बनाने की बाबत जो विषय हैं वे प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे हैं और इनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना साध्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—3853LS—13-08-2010.